

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2226] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2016/भाद्र 21, 1938 No. 2226] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2016/BHADRA 21, 1938

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली. 12 सितम्बर. 2016

का.आ. 2926(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निम्नलिखित नियुक्तियां करती है:

- (i) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंश कालिक अध्यक्ष के तौर पर श्री जे. सत्यनारायण, आईएएस (सेवानिवृत्त) (एपी:77)।
- (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंश कालिक सदस्य के तौर पर परिसस्टेंट सिस्टम्स के संस्थापक और सीईओ श्री आनंद देशपाण्डेय और नेट कोर सॉल्युशन्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री राजेश जैन ।
- 2. इस अधिनियम के तहत नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य इस कार्यालय पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक इन पदों पर बने रहेंगे।

[फा. सं. 10(15)/2016-ईजी- II]

आर. के. सुधांशु, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2016

- **S.O. 2926(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 12 of The Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government, hereby appoints:
 - (i) Shri J. Satyanarayana, IAS (Retd.) (AP:77) as Part-time Chairperson of the Unique Identification Authority of India, and
 - (ii) Shri Rajesh Jain, Founder & Managing Director, net CORE Solutions and Shri Anand Deshpande, Founder & CEO, Persistent Systems as Part-time Members of the Unique Identification Authority of India
- 2. The Chairperson and the Members appointed under this Act shall hold office for a term of three years or up to the age of sixty-five years whichever is earlier, from the date on which they assume office.

[F. No. 10(15)/2016-EG-II] R. K. SUDHANSHU, Jt. Secy.

4401 GI/2016